न्यायालय :— अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— **राधिका सिंह चारण, R.J.S.**
मूल दीवानी प्रकरण सं0 :— **03/18 (02/18)**
CIS NO. :— **02/18**

1. सरिता देवी पत्नी स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार जाति चडढ़ा(खत्री) निवासी वार्ड नं0 14, दीप कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. दीपक चडढ़ा पुत्र स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार जाति चडढ़ा(खत्री) निवासी वार्ड नं0 14, दीप कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. शिवानी अरोड़ा पत्नी योगेश अरोड़ा पुत्री स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी ए—16 शिव शक्ति नगर, जगतपुरा रोड़, मालवीय नगर, जयपुर (राज0)

——वादीगण

बनाम

1. सर्वसाधारण हर आम व खास।
2. नगरपरिषद हनुमानगढ़ जरिये आयुक्त, नगरपरिषद हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

—: वाद बाबत घोषणा आज्ञप्ति :—

उपस्थिति :—
1— श्री नवीन कुमार मोदी, विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2— प्रतिवादी सं0 01 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं।
3— श्री नवीन गोयल, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 02 की ओर से।

—: निर्णय :— **दिनांकः— 04.07.2018**

1. वादीगण द्वारा यह वाद बाबत घोषणा हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 22.12.2017 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश, हनुमानगढ़ में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक 171/स्था0/04 दिनांक 21.07.2004 की पालना में इस न्यायालय में दिनांक 08.01.2018 को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज किया गया।

2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया सं0 1 के पति व वादी सं0 2 व 3 के पिता स्व0 देवेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम जाति चडढ़ा (खत्री) वार्ड नं0 13, दुर्गा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0) का स्वर्गवास दिनांक 20.02.17 को हनुमानगढ़ जंक्शन में हो चुका है। वादीगण सं0 1 ता 3 स्व0 देवेन्द्र कुमार के विधिक व जायज वारिसान है। वादीगण द्वारा दिनांक 13.12.2017 को प्रतिवादीगण सं0 2 को जरिये रजिस्टर्ड डाक इस आशय का प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वह वादीगण सं0 1 ता 3 स्व0 देवेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम के विधिक वारिसान है, किन्तु प्रतिवादी सं0 2 ने वादीगण को स्व0 देवेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम का विधिक व जायज वारिस मानने से हनुमानगढ़ जंक्शन में साफ इन्कार करते हुये वारिस प्रमाण पत्र जारी करने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण को इस आशय का कोई भी विधिक अधिकार नहीं है कि प्रतिवादीगण वादीगण को स्व0 देवेन्द्र कुमार का जायज व विधिक वारिस मानने से इन्कार कर देवे।

3. वादीगण ने वाद उचित न्यायशुल्क पर तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं अन्दर मियाद बताते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया कि वादीगण स्व0 देवेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम जाति चडढ़ा (खत्री) वार्ड नं0 13, दुर्गा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0) के जायज व कानूनी वारिस हैं।

4. प्रतिवादी सं0 01 सर्वसाधारण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी संख्या 02 ने वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादीगण कभी भी प्रतिवादी से वारिस प्रमाण पत्र के संबंध में नहीं मिले न ही प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में इन्कार किया गया। वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

5. वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई :—

1. आया वादीगण मृतक श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम जाति चढ़ढ़ा (खत्री) वार्ड नं0 13, दुर्गा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0) की दिनांक 20.02.17 को मृत्यु हो जाने के पश्चात् स्व0 श्री देवेन्द्र कुमार के विधिक व जायज वारिस होकर इस आशय की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

——वादीगण

2. आया वादीगण को प्रतिवादी सं0 02 के विरूद्ध कोई वाद कारण प्राप्त ना होकर वाद वादी काबिले खारिज है?

——प्रतिवादी सं0 02

3. अनुतोष?

6. वादीगण ने अपनी साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू. 1 दीपक चड़ढ़ा के

सशपथ बयान लेखबद्ध करवाए और दस्तावेजी साक्ष्य में देवेन्द्र कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श—1, वारिस प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में भेजा गया पत्र प्रदर्श—2 डाक रजिस्टरी की रसीद प्रदर्श—3, आधार कार्ड सरिता देवी प्रदर्श—4 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—4ए, आधार कार्ड दीपक प्रदर्श—5 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—5ए, आधार कार्ड शिवानी प्रदर्श—6 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—6ए शिवानी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका प्रदर्श—7 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—7ए अखबार तेज दिनांक 24.01.2018 की साया प्रति प्रदर्श—8 को प्रदर्शित करवाया।

7. साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सं0 02 द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर करने से साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। प्रतिवादी सं0 01 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

8. अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजीय साक्ष्य से वादीगण स्व0 देवेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम जाति चडढ़ा (खत्री) वार्ड नं0 13, दुर्गा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0) के जायज व कानूनी वारिसान होने की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। अतः वाद वादीगण मांगे गए अनुतोष मुताबिक डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस उक्त तर्को का विरोध करते हुए वादीगण का वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

10. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

11. दौराने बहस वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादीगण स्व0 देवेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम जाति चडढ़ा (खत्री) वार्ड नं0 13, दुर्गा कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0) के कानूनी वारिसान है। वादीगण के अलावा स्व0 देवेन्द्र कुमार का अन्य कोई जायज व कानूनी वारिसान नहीं है। अतः वादीगण के पक्ष में स्व0 देवेन्द्र कुमार के वारिसान होने की घोषणा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

12. न्यायालय द्वारा विरचित तनकीयात के सम्बन्ध में न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार से है—

—: तनकी सं0 01 :—

तनकी सं0 1 को साबित किए जाने का सिद्धिभार वादीगण पर था। उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्लू. 1 दीपक चड्ढ़ा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त गवाह

ने मुख्य परीक्षा में वादपत्र के अभिकथनों की मुख्य रूप से ताईदी की है। गवाह पी. डब्लू 1 दीपक चड्ढा द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में देवेन्द्र कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श—1, वारिस प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में भेजा गया पत्र प्रदर्श—2 डाक रजिस्टरी की रसीद प्रदर्श—3, आधार कार्ड सरिता देवी प्रदर्श—4 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—4ए, आधार कार्ड दीपक प्रदर्श—5 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—5ए, आधार कार्ड शिवानी प्रदर्श—6 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—6ए, शिवानी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका प्रदर्श—7 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श—7ए अखबार तेज दिनांक 24.01.2018 की साया प्रति प्रदर्श—8 को प्रदर्शित करवाया।

13. वादीगण के उक्त अभिकथनों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के विरूद्ध सर्वसाधारण की ओर से न तो कोई प्रस्तुत हुआ, न ही किसी प्रकार का विरोध किया गया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में प्रतिवादी सं0 02 की ओर से कोई खंडनीय साक्ष्य पेश नहीं हुई है। जिससे वादीगण द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में किए गए कथन अकाट्य रहे हैं।

14. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 में प्रावधान किए गए हैं कि कोई व्यक्ति किसी विधिक हैसियत ऐसे किसी व्यक्ति के विरूद्ध जो ऐसी हैसियत का प्रत्याख्यान करता है वाद संस्थित कर सकेगा और न्यायालय स्व—विवेक में उस विवाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है। हस्तगत प्रकरण में वादिया सं0 1 सरिता देवी द्वारा स्वयं को स्व0 देवेन्द्र कुमार की पत्नि व वादीगण सं0 1 व 2 क्रमशः दीपक चड्ढ़ा व शिवानी अरोड़ा द्वारा स्वयं को मृतक स्व0 देवेन्द्र कुमार के पुत्र व पुत्री होने का कथन किया गया है तथा उक्त तथ्यों को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित भी किया है। अतः उक्त विवादित बिन्दू धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रकाश में वादीगण अपने पक्ष में इस हद तक प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि वादिया सं0 1 सरिता देवी स्व0 देवेन्द्र कुमार की पत्नि व वादीगण सं0 2 व 3 क्रमशः दीपक चडढ़ा व शिवानी अरोड़ा मृतक स्व0 देवेन्द्र कुमार के पुत्र एवं पुत्री है तथा उक्त प्रास्थिति के अनुसार विधिक अधिकार रखते हैं। लेकिन इस न्यायालय को विधिक वारिसान घोषित करने की अधिकारिता हो, ऐसा तथ्य वादीगण प्रकट करने में असफल रहे हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार वादीगण उक्त विवादित बिन्दू को आंशिक रूप से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं।

—: तनकी सं0 02 :—

15. तनकी सं0 2 को साबित किए जाने का सिद्धिभार प्रतिवादी सं0 2 पर था। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी सं0 2 के अधिवक्ता का तर्क है कि वादीगण कभी भी प्रतिवादी से वारिस प्रमाण पत्र के संबंध में नहीं मिले और ना ही प्रतिवादी द्वारा

इस संबंध में इन्कार किया गया। वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नहीं है। इसके विपरीत अधिवक्ता वादीगण का तर्क रहा है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 2 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त भी प्रतिवादी सं0 2 द्वारा वादीगण को याचित अनुतोष प्रदान नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं0 2 ने उक्त तनकी संख्या 2 को साबित करने के लिए कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 2 तनकी संख्या 2 अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः तनकी संख्या 2 प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

—: अनुतोष :—

16. चूंकि प्रकरण में दावे का मुख्य आधार विवादित बिन्दू तनकी सं0 1 वादीगण अपने पक्ष में आंशिक रूप से साबित करने मे सफल रहे हैं तथा तनकी सं0 2 प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्ध निर्णीत की गयी है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद बाबत् घोषणा आंशिक रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

17. अतः अभिलेख के आधार पर वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा आंशिक रूप से डिक्री कर घोषणा की जाती है कि वादिया सं0 1 स्व0 देवेन्द्र कुमार की पत्नी व वादीगण सं0 2 व 3 क्रमशः दीपक चड्ढा, शिवानी अरोड़ा मृतक स्व0 देवेन्द्र कुमार के पुत्र व पुत्री हैं तथा वे इसी प्रास्थिति के अनुसार विधिक अधिकार रखते हैं। वाद का खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा तैयार किया जावे।

(राधिका सिंह चारण)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश,
हनुमानगढ़।

18. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 04.05.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राधिका सिंह चारण)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश,
हनुमानगढ़।